फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री सुरेन्द्रकुमार | **विपक्षी : श्रीमती मंजुदेवी**

किस्म मुकदमा – 131 भू.रा. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 49/23**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.06.2023

पत्रावली प्रार्थी द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प नऊवा में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी द्वारा शीघ्र सुनवाई किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त, शामिल फाईल किया जावे, रेकार्ड पर लिया जाता हैं। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा जवाब नहीं देना चाहकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रार्थी के अनुसार आराजी नम्बर 2801/208 राजस्व नक्शें में सेग्रीगेशन के दौरान रकबा 1.0279 हेक्टेयर के बजाय 0.7647 हेक्टेयर कर देने से जमाबन्दी अनुसार सही तरमीम किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आराजी नम्बर 2801/208 का रकबा जमाबन्दी अनुसार 1.0279 हेक्टेयर एवं नक्शें में उक्त आराजी का रकबा 0.7647 हेक्टेयर होना बताया। उक्त आराजी के अन्तर का रकबा सेग्रीगेशन के दौरान आराजी नम्बर 2801/208 के उत्तरी दिशा में स्थित विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2865/2800 व 2864/2800 में औसतन 14 मीटर बढा दिये जाने से उक्त अन्तर होना जाहिर किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा उक्त रकबे के अन्तर को दूर करने हेतु आराजी नम्बर 2801/208 के उत्तरी दिशा में स्थित विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2865/2800 व 2864/2800 में से औसतन 14 मीटर बढाया जाये तो जमाबन्दी अनुसार नक्शें में सही तरमीम हो जायेगी। प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 2801/208 को राजस्व नक्शें में पुनः सही तरमीम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू.रा.अ. का स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा नूरडा पटवार हल्का नूरडा की आराजी नम्बर 2801/208 को तहसीलदार मावली से प्रस्तावित नक्शे अनुसार आराजी नम्बर 2865/2800 व 2864/2800 में से औसतन 14 मीटर कम करते हुए वर्तमान नक्शें में जमाबन्दी के रकबे अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:[illegible]:55 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली